



चूरू

Rashtradoot

फोन:- 256906, 256907, फैक्स:- 01562-256908

वर्ष: 17 संख्या: 257

प्रभात

चूरू, मंगलवार 13 जनवरी, 2026

पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21

पृष्ठ 6

मूल्य 2.50 रु.

ममता बनर्जी गिरफ्तार हो सकती हैं, ईडी की कार्रवाई में बाधा डालने के आरोप में

ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी व प.बंगाल की पुलिस के खिलाफ अन्ततोगत्वा मुकदमा दर्ज किया

-अंजन राॅय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 जनवरी। एन्कोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) ने अन्ततोगत्वा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उन राज्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज करवा दिए हैं, जो कोलकाता में प्रतीक जैन के आवास और आई-पैक के कार्यालयों पर हुई ईडी की छापेमारी के दौरान वहां पहुंचे थे।

ईडी ने ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। यदि ये मामले अदालत में कायम रहते हैं, तो इससे उनकी तत्काल गिरफ्तारी संभव हो सकती है। पूरे देश में यह एक अभूतपूर्व घटना मानी जा रही है कि किसी सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री ने छापेमारी और जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया हो।

ईडी ने राज्य की मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें महत्वपूर्ण सबूतों को नुकसान पहुंचाने

- अगर, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की शिकायत को स्वीकार करते हुए निर्णय सुनाया तो ममता बनर्जी को सीधे जेल जाना पड़ेगा।
- ईडी ने सीबीआई से पूरे प्रकरण की जाँच कराने की भी मांग की है।
- दूसरी और पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष “केविट” फाइल की, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई भी निर्णय लेने से पहले राज्य सरकार का पक्ष भी सुने।
- जैसा कि विदित ही है, कंसलटेंसी कंपनी आई-पैक, जिसके ऑफिस पर ईडी ने रेड की, ने 2021 के प.बंगाल विधानसभा चुनाव और उसके बाद भी तृणमूल कांग्रेस की चुनाव की रणनीति फाइनल करने में अहम् भूमिका निभाई थी। प.बंगाल की मु.मंत्री ममता बनर्जी ने सार्वजनिक मंच से, आई-पैक के दफ्तर पर रेड के दौरान वहाँ पहुंचने और फाइलें ले जाने को सही बताते हुए कहा कि ईडी की रेड राजनीति से प्रेरित है।

और जांच में बाधा डालने के आरोप शामिल हैं।

गत सप्ताह ईडी ने आई-पैक के कार्यालयों और उसके स्थानीय प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर रेड की थी। रेड के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुँचीं और कथित तौर पर वहां से महत्वपूर्ण सबूत अपने साथ ले गईं।

ईडी एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के लीज क्षेत्र से कोयले की चोरी और उसे चुनिंदा खरीदारों को बेचने से जुड़ी शिकायतों की जांच कर रही है। इस अवैध आय को हवाला चैनलों के जरिए बाहर भेजा गया और बाद में वापस लाया गया। ईडी पहले ही हवाला लेनदेन को लेकर गंभीर आरोप लगा चुकी है और

उसके पास इससे जुड़े अहम सबूत और जानकारी मौजूद हैं।

कानून के तहत किसी जांच एजेंसी की रेड में हस्तक्षेप करना एक संज्ञेय अपराध है। किसी लोक सेवक के कार्य में बाधा डालना कानून का उल्लंघन माना जाता है और इसमें हस्तक्षेप करने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अस्पताल में भर्ती

धनखड़ शनिवार 10 जनवरी को बाथरूम में लगातार दो बार बेहोश हो गए

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 जनवरी। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सोमवार को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ऑल इण्डिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़-एम्स) में भर्ती कराया गया।

अधिकारियों के अनुसार, वे सप्ताहांत में दो बार बेहोश हो गए थे।

74 वर्षीय धनखड़ को 10 जनवरी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हुई थीं, जिसके बाद उन्हें एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने आगे की जांच के लिए उन्हें भर्ती करने का फैसला किया।

धनखड़ ने पिछले वर्ष 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था।

उनका इस्तीफा अचानक आया था और इसके बाद कई अटकलें लगाई गईं।

इस्तीफे के बाद, वे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बहुत ही कम दिखाई दिये।

- सोमवार सुबह उन्हें जाँच के लिए एम्स ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें भर्ती कर लिया। यहाँ एमआरआई सहित उनकी सभी जाँचों की जाएंगी।
- धनखड़ पिछले दिनों कई बार बेहोश हो चुके हैं। कच्छ के उत्तराखंड, केरल और नई दिल्ली में हुए कार्यक्रमों में भी उन्हें बेहोशी का दौरा पड़ा था।
- धनखड़ ने गत वर्ष खराब स्वास्थ्य के कारण अचानक उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र दे दिया था, उसके बाद कई तरह की अटकलें लगाई गईं और उनकी सार्वजनिक मौजूदगी भी कम हो गई थी।

स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी साझा करते हुए अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को जब वे वांशरूम गए थे, तब उन्हें “दो बार बेहोशी” के दौरे पड़े। इसके बाद उन्हें चिकित्सकीय जांच की सलाह दी गई।

एक अधिकारी ने कहा, “आज वे जांच के लिए एम्स गए थे, लेकिन

डॉक्टरों ने जाँचों के लिए उन्हें भर्ती करने पर जोर दिया।

अधिकारियों ने बताया कि मेडिकल टैस्टों के तहत, डॉक्टरों द्वारा एमआरआई किए जाने की संभावना है।

एक अधिकारी के अनुसार, हाल के दिनों में विभिन्न सार्वजनिक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुख्यमंत्री ने लोहड़ी व मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दीं

जयपुर, 12 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोहड़ी एवं मकर संक्रांति के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। शर्मा ने कहा कि बंसत ऋतु के आगमन और नई फसल के उल्लास में मनाया जाने वाला पर्व लोहड़ी प्रकृति

- उन्होंने प्रदेशवासियों को जरूरतमंदों की मदद का संकल्प लेने के लिए कहा।

के प्रति हमारी आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कामना की कि लोहड़ी की पावन अग्नि प्रदेशवासियों के जीवन से नकारात्मकता को दूर कर स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रकाश फैलाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान सूर्य देव के उत्तरायण होने के अवसर पर मनाया जाने वाला पर्व मकर संक्रांति हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह पर्व हमारे देश की समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक एकता (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप बने वेनेज़ुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति!

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 जनवरी। सोशल मीडिया पर डाली गई एक तस्वीर, जो एडिट किए गए विकिपीडिया पेज जैसी दिखती है, में ट्रंप की आधिकारिक फोटो लगाकर उन्हें “वेनेज़ुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति” बताया गया है। असल विकिपीडिया पेज पर ट्रंप को वेनेज़ुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बताया गया है और न ही किसी

- ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी एक फोटो में खुद को वेनेज़ुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है।

अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने इस दावे को मान्यता दी है।

यह पोस्ट अमेरिका द्वारा मौजूदा वेनेज़ुएला राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़कर हटाने के बाद सामने आई। मादुरो को उनकी पत्नी के साथ न्यूयॉर्क ले जाया गया है, जहां उन्हें संघीय ड्राग तस्करी के आरोपों का सामना करना होगा। यह कार्रवाई कई महीनों से चल रहे अमेरिकी दबाव, प्रतिबंधों और तेल-समृद्ध देश के खिलाफ सैन्य गतिविधियों के बाद की गई।

मादुरो ने कहा है कि उनका (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जोर पकड़ने लगा है मनरेगा समर्थक आंदोलन देश के विभिन्न भागों में विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन शुरू किए गए हैं

- रविवार को वाराणसी में मनरेगा बचाओ संग्राम कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर पुलिस के लाठी चार्ज की सभी तरफ से कड़ी निंदा की गई।
- मनरेगा योजना के सुजनकर्ता जीन ड्रेज़ ने कहा कि नई वीबी जी राम जी योजना केन्द्रीकृत है, इसमें सारी जिम्मेदारी राज्यों की है, यही नहीं, इसे जब चाहे बंद किया जा सकता है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नाम चीन अर्थशास्त्री जैसे थॉमस पिकेटी, नोबल सम्मान विजेता जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ आदि ने भी मनरेगा को खत्म किए जाने पर विरोध जताया है।

खिलाफ 45 दिनों का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है।

शनिवार को उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, इसके बाद जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय उपवास और प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया गया। 12 से 29 जनवरी के बीच सभी

ग्राम पंचायतों में चौपालों और जनसंपर्क कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जबकि 30 जनवरी को वाई स्तर पर सभाएं होंगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 7 से 15 फरवरी के बीच विधानसभाओं का राज्य स्तरीय “धेराव” किया जाएगा और 16 से 25 फरवरी के बीच चार बड़ी रैलियां

आयोजित की जाएंगी।

कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में मोदी-योगी डबल इंजन सरकार ने वाराणसी में शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे एनएसयूआई के प्रदर्शनकारियों पर बर्बर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा, “मनरेगा को खत्म किए जाने और लाखों लोगों को रोजगार के अधिकार से वंचित किए जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई छात्रों पर ताकत का बर्बर इस्तेमाल और गिरफ्तारियां बेहद निंदनीय हैं।

वीबी-जी-राम-जी विधेयक 18 दिसंबर को, लोकसभा में पारित होने के कुछ ही घंटों बाद, राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया था तथा तीन दिन बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे अपनी मंजूरी दे दी थी।

आलोचकों का कहना है कि नए कानून की असली समस्या उसकी बारीकियों में छिपी है। मनरेगा के प्रमुख सिलपकार जीन ड्रेज़ का कहना है कि नई (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एसआई भर्ती पेपर लीक के चार आरोपियों को जमानत मिली

जयपुर, 12 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में चार आरोपियों, कैलाश कुमार, मंगलाराम, परमेश चौधरी और विनोद कुमार जाट को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस विनोद

- हाई कोर्ट ने जेल में बिताई अवधि व केस की सुनवाई में लगने वाले समय को देखते हुए जमानत मंजूर की।

कुमार भारवानी की एकलपैठ ने यह आदेश चारों आरोपियों की ओर से पेश जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति, आरोपियों की ओर से जेल में बिताई अवधि और केस की सुनवाई में लगने वाले समय को देखते हुए उन्हें जमानत (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बाहर है और जवाबदेही के सिद्धांत को कमजोर करती है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा, “यह बिल सीईसी और ईसी को ऐसी अभूतपूर्व जीवनभर की छूट नहीं दे सकता, जो संविधान निर्माताओं ने जजों को भी नहीं दी थी। संसद ऐसी छूट नहीं दे सकती,

जो संविधान के निर्माताओं ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों को नहीं दी।”

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका में उठाई गई चिंताओं पर ध्यान दिया और कहा कि इस मुद्दे की गहराई से न्यायिक जांच जरूरी है। सीजेआई ने कहा, “हम इस पर विचार करना चाहते हैं। हम नोटिस जारी कर रहे हैं।” बेंच ने केन्द्र सरकार और चुनाव आयोग, दोनों से जवाब मांगा है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

चापलूसी का ज़हरीला प्याला आपको तब तक नुकसान नहीं पहुँचा सकता जब तक कि आपके कान उसे अमृत समझ कर पी न जाएँ। —प्रेमचंद

एस आई आर पर घमासान

किसी भी लोकतंत्र की पहचान यही है कि वहां पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव नियमित रूप से हों एवं बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाकर शासन प्रदान करे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के वैसे तो बहुत सारे आयाम हैं किंतु मूल आधार सही मतदाता सूची का होना है । इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक उस व्यक्ति का नाम इसमें दर्ज होना चाहिए जो मतदान करने का अधिकारी है एवं ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं होना चाहिए जो मतदान का अधिकारी नहीं है ।

चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3२4 के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग को दी गई है। मतदाता सूचियों का अद्यतन (अपडेट)करने हेतु समय-समय पर निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करता रहा है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य उन सभी व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटाना होता है जिनकी मृत्यु हो जाती हैअथवा जो स्थाई रूप से कहीं और निवास करने लग गए हों।

इन स्थापित प्रक्रियाओं को छोड़कर निर्वाचन आयोग ने अचानक जून 2025 में बिहार के चुनाव से लगभग तीन माह पूर्व मतदाता सूचियों के सघन गहन परीक्षण अर्थात एस आई आर की प्रक्रिया के बारे में आदेश जारी कर दिए । यह उल्लेखनीय है कि गत 23 वर्षों में यह प्रक्रिया कहीं नहीं की गई थी। इसका कारण मतदाता सूचियों का डिजिटइजेशन होना था। इसका उद्देश्य घुसपैठियों के नामों को मतदाता सूचियों से हटाना था । विपक्षी दलों द्वारा इसका भरपूर विरोध करने एवं ‘वोट चोरी’ यात्रा निकालने के बावजूद निर्वाचन आयोग ने इसे नहीं रोका और एस आई आर के बाद की मतदाता सूची के आधार पर बिहार के चुनाव संपादित करना लिए । कुछ दल एवं सामाजिक कार्यकर्ता सर्वोच्च न्यायालय में गए किंतु उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली । न्यायालय द्वारा इस प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई गई। नवंबर में इस मतदाता सूची के आधार पर हुए चुनावों में भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बन गई और नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री बन गए । बिहार में शांतिपूर्वक हुए चुनाव को निर्वाचन आयोग इस बात की पुष्टि मान रहा है कि उनके द्वारा की गई प्रक्रिया सही थी और उसने 1२ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एस आई आर प्रारंभ करने की घोषणा कर दी। इसका भारी विरोध हुआ, विशेषकर पश्चिम बंगाल सरकार और वृणमूल कांग्रेस द्वारा। इस प्रक्रिया के बारे में सर्वोच्च न्यायालय में भी कई बार सुनवाई हुई लेकिन अभी तक इस बारे में कोई प्रभावी कार्रवाई न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। निर्वाचन आयोग ने तो आधार को 11 दस्तावेजों के साथ 1२ मवें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने की न्यायालय की सलाह को भी नहीं माना और अभी भी उसे मान्य दस्तावेज के रूप में सम्मिलित नहीं किया है।

इस बार की एस आई आर में अन्य राज्यों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश भी सम्मिलित है। यहां एस आई आर के पहले की मतदाता सूची में 1५.44 करोड़ मतदाता थी। ड्राफ्ट सूची जारी करने के लिए कई बार समय बढ़ाने के बाद जब अंतिम ड्राफ्ट सूची जारी की गई तो इसमें यह संख्या घटकर 1२.५५ करोड़ रह गई।

यह उल्लेखनीय है कि जिन व्यक्तियों के नाम पूर्व की मतदाता सूची में थे उन्हें गणना प्रपत्र बांटे गए और उनसे भरवा कर पुनः लिए गए। प्रत्येक मतदाता को उनका या रिश्तेदार का नाम २00३की मतदाता सूची में सम्मिलित होने का प्रमाण भी देना था। यह प्रपत्र कुल १२.५५ करोड़ लोगों से प्राप्त हुए, अर्थात २.८९ करोड़ के नाम कट गए। इन १२.५५ करोड़ में भी १.०४ करोड़ ऐसे हैं जिन्होंने फार्म तो भरकर निर्वाचन आयोग में जमा कर दिए, किंतु उनको मैपिंग अभी तक नहीं हुई है। अर्थात उनका स्वयं का या रिश्तेदार का नाम २००३ की मतदाता सूची में नहीं मिल पाया है । यदि इनकी मैपिंग ना हो पाए तो मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं की संख्या १२.५५ करोड़ से घटकर ११.५१ करोड़ रह जाएगी। मैने इसी संक्षेप में चार बार एस आई आर के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से लिखा था, किंतु जिस प्रकार के चौकाने वाले आंकड़े उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं और जो समाचार वहां से मिले हैं उसके आधार पर पाठकों की आंखों को विश्लेषण के साथ प्रस्तुत करना उचित लगा ताकि वे स्वयं यह निर्णय कर सकें कि एस आई आर का उद्देश्य क्या था और उससे क्या हासिल हो पाया है? जहां तक निर्वाचन आयोग एवं सर्वोच्च न्यायालय का प्रश्न है वे तो, सभी प्रकार की विसंगतिया सामने आने के बाद भी धृतराष्ट्र की तरह आँखें मूंद कर बैठे हैं ।

यह बात कई बार कही जा चुकी है कि किसी का नाम एक से अधिक जगह दर्ज होने, उसके मृत होने या अन्य कहीं चले जाने के बाद उसका नाम हटाने का कार्य तो सामान्य पुनरीक्षण प्रक्रिया में हमेशा संभव था। उसके लिए एस आई आर पर करोड़ों रुपए खर्च करने और सबको परेशान करने की आवश्यकता नहीं थी। २००३ की मतदाता सूची में नाम ढूँढने का काम लोगों के लिए

बहुत परेशानी का कारण बना है और बी एल ओ तक भी ऐसा नहीं कर पाए हैं । इसी लिए उत्तर प्रदेश में १.०४ करोड़ मतदाता अभी भी unmappped है।

पाठकों को शायद यह विदित हो कि पंचायती राज और स्थानीय निकाय के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा और लोकसभा के कराए जाते हैं । उत्तर प्रदेश के जिस निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची, जिसे अंतिम रूप हाल ही में दिया गया है, उसमें केवल ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं की संख्या १२.६९ करोड़ है ,जबकि एस आई आर की ड्राफ्ट मतदाता सूची में पूरे राज्य में १२.५५ करोड़ लोगों का नाम है । राज्य निर्वाचन आयोग के ठाामीण मतदाता सूची में यदि शहरी मतदाताओं की संख्या जोड़ दी जाए तो राज्य के कुल मतदाताओं की संख्या लगभग १७ करोड़ होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक ही राज्य में विधानसभा/लोकसभा के लिए १२.५५ करोड़ मतदाताओं की तुलना में पंचायती राज

और नगर निकायों के चुनाव में १७ करोड़ लोग मतदान करेंगे । यह ४.५० करोड़ का अंतर समझ से परे है। वहां तक विदेशी अवैध लोगों को मतदाता सूची से बाहर निकालने का प्रश्न है, बिहार में पूरी प्रक्रिया के बावजूद अभी तक निर्वाचन आयोग ने यह सार्वजनिक नहीं किया है कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें विदेशी होने के कारण मतदाता सूची से हटाना गया।

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कहा कि चार करोड़ लोगों के नाम कटे हैं जिनमें से अधिकांश भाजपा के हैं। उन्होंने आब्धान किया कि प्रत्येक बाूथ पर १५०-२०० लोगों के नाम जुड़वाने हैं। योगी आदित्यनाथ के इस कथन के बाद समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया को सही बताया, शायद इसलिए कि बीजेपी के मतदाताओं के नाम कटे हैं । प्रश्न यह नहीं है कि एस आई आर के कारण किस दल को लाभ होगा अथवा हानि होगी, बल्कि यह है कि जो कार्य किया जा रहा है वह कितना न्यायोचित एवं मतदाताओं के लिए सुविधाजनक है? किसी भी ग्रामीण गरीब मतदाता से अपेक्षा करना कि वह अपने दस्तावेज प्राप्त करने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाएगा, सही नहीं है।

एस आई आर के निर्देशों के अनुसार जिन व्यक्तियों के नाम इन १२.५५ करोड़ की ड्राफ्ट सूची में सम्मिलित नहीं है उन्हें नए वोटर बनने के लिए फॉर्म ६ भरना पड़ेगा। यह किन्ती विचित्र बात है कि जो व्यक्ति लगातार कई चुनाव में वोट दे रहे थे उन्हें पुनः नए वोटर की तरह दस्तावेज चुनाव आयोग में जमा करने होंगे। २००३ में हुए एस आई आर के बाद मतदाता सूचियों का कंप्यूटरीकरण कर दिया गया था। उसके बाद इस प्रकार की कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि केवल एक बटन दबाकर एक से अधिक स्थान पर दर्ज मतदाताओं के नामों को आसानी से काटा जा सकता था ।

मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया स्पष्ट और पारदर्शी होनी चाहिए ।उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में जिस प्रकार से एस आई आर किया जा रहा है वह न केवल अस्पष्ट अपितु अपारदर्शी भी है । इसके कारण कई प्रकार की आशंकाओं को बल मिलना स्वाभाविक है। चुनाव न केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष हों अपितु जनता में यह विश्वास होना भी आवश्यक है। यही सबसे बड़ी कमी इस एस आई आर की प्रक्रिया में दिखाई दे रही है।

यदि १.०४ करोड़ लोगों का मैपिंग नहीं हो पता है तो मतदाता सूची में कुल संख्या लगभग ११.५१ करोड़ रह जाएगी जो राज्य निर्वाचन सूची में दर्ज मतदाताओं के मुकाबले में ५.५ करोड़ कम होगी । इस प्रकार लगभग ३० प्रतिशत मतदाताओं की संख्या में कमी आना आश्चर्य जनक है। सामान्यतः आजकल चुनाव में हार जीत का अंतर एक या दो प्रतिशत होता है। यदि मतदाताओं की संख्या में २०-३० प्रतिशत मतदाताओं का अंतर आ जाए तो इसका कितना प्रभाव चुनावी परिणाम पड़ सकता है, उसका अनुमान ही लगाया जा सकता है।

जनसंख्या में १८ वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों का प्रतिशत सामान्यतया ७० प्रतिशत होता है। उसके अनुसार उत्तर प्रदेश की २०२५ की जनसंख्या लगभग २४ करोड़ में से लगभग १६.८० करोड़ मतदाता होने चाहिए। निर्वाचन आयोग कोई भी प्रक्रिया अपना ले यह संख्या इसके लगभग होनी चाहिए। यदि इससे चार या पांच करोड़ कम होगी तो विवाद पैदा होगा ही।

पाठकों को ज्ञात है कि एस आई आर की प्रक्रिया उन्हीं सरकारी कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है जो इस प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। पहले भी लगभग उन्हीं कर्मचारियों में निर्वाचन आयोग के देखरेख में काम किया । जिस प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में मतदाता सूची में नाम कटने की बात सामने आ रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि पहले कर्मचारियों ने अपना काम किया ही नहीं। यदि इसे सही मान भी लें तो इस बात की क्या गारंटी है अभी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वे बिल्कुल सही कर रहे होंगे, क्योंकि कर्मचारी तो वही हैं । निर्वाचन आयोग ने अपने पूर्ववर्ती निर्वाचन आयोगों के काम पर प्रश्न चिन्ह लगाकर अपनी विश्वसनीयता को कम ही किया है।

इससे पहले कि एस आई आर का मुद्दा विपक्षी दलों और सत्ताधारी दलों के बीच बहुत बड़े घमासान का रूप ले ले, उचित होगा कि सर्वोच्च न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करे और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने का काम करे,ताकि योग्य मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न हो जाएं।

—अतिथि सम्पादक, राजेन्द्र भागवत (पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान बना एआई नवाचार का उभरता केंद्र

राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस भारत के समावेशी और सतत एआई विकास की मजबूत नींव



धर्मेन्द्र कुमार मीना

राजस्थान ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के क्षेत्र में राष्ट्रीय विजन को साकार करने की दिशा में एक और ठोस कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान एआई नवाचार के उभरते केंद्र के रूप में

पहचान बना रहा है। राजस्थान क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि तकनीक-आधारित विकास, समावेशी प्रगति और जनकल्याण के लिए एआई का उपयोग सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। यह सम्मेलन भारत एआई इम्पैक्ट समिट- २०२६ की तैयारी के क्रम में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय पड़ाव सिद्ध हुआ।

सम्मेलन में संस्थागत सहयोग को नई ऊंचाई देते हुए गूगल, आईआईटी दिल्ली, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर तथा स्किफ डेवलपमेंट नेटवर्क (वाघवानी फाउंडेशन) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस बहुपक्षीय साझेदारी का उद्देश्य एआई अनुसंधान, बड़े पैमाने पर कौशल विकास, नैतिक

एवं कानूनी ढांचे तथा नवाचार-आधारित इकोसिस्टम को मजबूत करना है, जिससे युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे और राज्य की डिजिटल क्षमताओं में वृद्धि होगी।

उच्चस्तरीय रणनीतिक सत्र में श्री अभिषेक सिंह, अतिरिक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमइआईटीवाय), सीईओ-इंडियाएआई मिशन एवं महानिदेशक-एनआईसी, ने श्री विशाल धूपर, मैनेजिंग डायरेक्टर-साइथ एशिया, एनवीडिया के साथ संवाद किया। सत्र का संचालन श्री समीर जैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्राइमस पार्टनर्स ने किया। चर्चा में एआई अवसरचना के लोकतंत्रीकरण, सार्वजनिक-निजी भागीदारी को सुदृढ़ करने, नवाचार को व्यापक स्तर पर सक्षम बनाने तथा सुरक्षित और

भरोसेमंद एआई के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की क्षमता निर्माण जैसे विषयों पर विचार-विमर्श हुआ।

इंडियाएआई मिशन की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कविता भाटिया, वैज्ञानिक ‘जी’, समूह समन्वयक, एमइआईटीवाय एवं सीओओ-इंडिया एआई मिशन ने भारत एआई इम्पैक्ट समिट २०२६ की दृष्टि और प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि नीति, अवसरचना और मानव संसाधन विकास के समन्वित प्रयासों से एआई को जनकल्याण से जोड़ा जा रहा है।

वैश्विक एआई, राष्ट्रीय एआई और क्षेत्रीय एआई विषय पर अविनाश शर्मा, प्रोफेसर, आईआईटी जोधपुर ने क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थानों की भूमिका को प्रकाश डालते हुए कहा कि स्थानीय संदर्भों को समझने वाले समाधान ही

वैश्विक स्तर पर प्रभावी सिद्ध होते हैं। सम्मेलन के दौरान शासन, अवसरचना, नवाचार, नैतिकता और रोजगार जैसे विषयों पर समानांतर सत्र आयोजित किए गए, जिनमें एआई के व्यावहारिक अनुप्रयोगों और जनसेवा में इसके उपयोग पर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान सरकार की यह पहल राज्य को एआई आधारित नवाचार, कौशल विकास और सतत विकास का अग्रणी केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राजस्थान क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस ने यह सिद्ध किया कि राज्य तकनीक को जनहित से जोड़ते हुए भारत के एआई भविष्य में सक्रिय और प्रभावी भूमिका निभाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

—धर्मेन्द्र कुमार मीना, सहायक निदेशक, करौली

बांग्लादेश – एक ओर कटु अनुभव



प्रो. कैलाश सोडाणी

१९४७ में भारत के साथ-साथ धर्म के आधार पर पाकिस्तान का भी एक राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। पाकिस्तान को मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर दो भूखंड प्राप्त हुए, जिन्हें पश्चिमी एवं पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। राजनैतिक एवं सैन्य नैतृत्व हमेशा पश्चिमी पाकिस्तान के पास रहा, परिणामस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान हमेशा शोषित एवं पीड़ित ही रहा। पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के साथ भाषाई, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आधार पर बहुत अत्याचार किए उर्दू को राष्ट्र भाषा बनाने और बांग्ला को उपेक्षित करने से बंगालियों में भारी असंतोष रहा।

बजट का अधिकतम हिस्सा केवल पश्चिमी पाकिस्तान के विकास पर खर्च किया एवं पूर्वी पाक को

नजरअंदाज किया गया। जनसंख्या में अधिक होने के बावजूद पूर्वी पाक को राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत कम दिया गया। पश्चिमी पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में जन आंदोलन ‘मुक्ति संग्राम’ प्रारम्भ हुआ। मार्च १९७१ में शेख मुजीबुर्रहमान को गिरफ्तार करके पाकिस्तानी सेना ने ‘ऑपरेशन सर्चलाइट’ शुरू किया, जिसके दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा व्यापक अत्याचार, नरसंहार और बलात्कार हुए।

१९७० के आम चुनावों में अवामी लीग की जीत के बावजूद पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं एवं सेना ने सत्ता सौंपने से इंकार कर दिया। यही से बांग्लादेश के जन्म की कहानी शुरू हुई। इन अत्याचारों के कारण लाखों लोगों ने भारत में शरण ली, जिससे एक बड़ा शरणार्थी संकट पैदा हुआ और यहीं से भारत का हस्तक्षेप प्रारम्भ हुआ। यह हस्तक्षेप अन्ततः भारत-पाक युद्ध (बांग्लादेश मुक्ति संग्राम) में परिवर्तित हुआ। १३ दिनों का युद्ध १६ दिसंबर, १९७१ को समाप्त हुआ।

जनरल मानेकशा के मजबूत एवं कुशल नेतृत्व में भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के सामने पाकिस्तानी सेना के ९३००० सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। १९७१ के भारत-पाक युद्ध की एक मात्र वजह पूर्वी पाकिस्तान को नगरिकों को पाकिस्तानी सेना के

अत्याचारों से मुक्ति दिलाना था। इस युद्ध में अमेरिका ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया। अन्तर्राष्ट्रीय खतरों से खेलते हुए भारत ने पाक को धराशायी किया एवं पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में बदल दिया। पूरी दुनिया ने बांग्लादेश के रूप में एक नये राष्ट्र के निर्माण में भारत के प्रत्यक्ष योगदान को स्वीकार किया। विश्व में बांग्लादेश को एक राष्ट्र के रूप में भारत ने ही सबसे पहले मान्यता प्रदान की। तब अन्य देशों ने बांग्लादेश को स्वीकार किया।

भारत सरकार ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान बांग्लादेश के

वर्ष	भारत में मुसलमान	बांग्लादेश में हिन्दू
१९४१	९.८ प्रति.	२८.४ प्रति.
१९७१	११.२ प्रति.	१३.६ प्रति.
२०११	१३.४ प्रति.	८.५ प्रति.

शरणार्थियों की सहायता के लिए भारतीय जनता से दान एवं विशेष डाक टिकटों से धन एकत्रित किया। बांग्लादेश निर्माण में आम भारतीय नगरिकों का भी प्रत्यक्ष योगदान रहा है। भारत ने बांग्लादेश को हमेशा अपना छोटा भाई समझकर हर संभव मदद की। परन्तु दुर्भाग्य है कि यह भाई दुर्योगधन-दुशासन ही सिद्ध होता जा रहा है। बांग्लादेश को गैहूँ एवं चावल जैसे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भारत करता है। बांग्लादेश मुख्यरूप से दुनिया को रेडीमेड कपड़ों का निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित करता है जिसका

आधार भारतीय कपास एवं धागे ही हैं।

अधोषित हिन्दू राष्ट्र भारत बांग्लादेश को उसके जन्म से लेकर आज तक पल्लवित कर रहा है फिर भी वहाँ हिंदुओं की लगातार घटती आबादी उनके दुःख-दर्द की ही अभिव्यक्ति है। भारत में मुसलमानों की आबादी का लगातार बढ़ना यह सिद्ध करता है कि वे यहाँ पूर्ण शान्ति एवं प्रतिष्ठा से जीवन जी रहे हैं।

उक्त आकड़े एवं तथ्य बहुत कुछ कह रहे हैं। इन आंकड़ों की पीछे छिपी हुई सच्चाई को समझना होगा। देश और

वर्ष	भारत में मुसलमान	बांग्लादेश में हिन्दू
१९४१	९.८ प्रति.	२८.४ प्रति.
१९७१	११.२ प्रति.	१३.६ प्रति.
२०११	१३.४ प्रति.	८.५ प्रति.

दुनिया के धार्मिक संतुलन में होने वाला यह परिवर्तन हमें किस दिशा में ले जाएगा इस पर चिन्तन होना चाहिये। धर्म निरपेक्षता तथा गंगा-जमुना तहजीब के नारों की आवाज में हमें हमारे इतिहास और आज की वास्तविकता को नजरंदाज नहीं करना चाहिये।

भारत हर बार एक ही गलती को दोहराता आ रहा है और उसके दुष्परिणाम भी भुगत रहा है, फिर भी सुधर नहीं रहा है। लोगों को पहचानने में हर बार की इस भूल से ही भारत टूटता गया, बिखरता गया और अपमानित होता गया। दुश्मन को बार-बार माफ करने की तथा कथित

बड़प्पन वाली मानसिकता को भी छोड़ना होगा। आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, यह वर्ग विशेष की अहसान फरामोश सोच एवं कार्यप्रणाली का शोक्त है। सुधरना तो हमें ही पड़ेगा।ऐसी अहसान फरामोश कोम पर किसी भी स्थिति में सहानुभूति एवं सहिष्णुता की आवश्यकता नहीं है। लगभग २ करोड़ रोहिंया मुसलमान (बांग्लादेशवासी) रोजी-रोटी के लिये भारतीय अर्थव्यवस्था एवं प्रवातंत्र पर स्थायी भार बन चुके हैं। हमे उन्हें कठोरता से यह समझाना होगा कि भारत एक राष्ट्र है, धर्मशाला नहीं। सौभाग्य से आज देश का महावत अर्थात राजनैतिक नेतृत्व ऐसे कृतप्न लोगों को माफ करने की मानसिकता नहीं रखता है। उम्मीद है इतिहास को दोहराएंगे ही, उसे बदलने के साथ आगे बढ़ेंगे।

दोस्तों, यह नया भारत है जो समस्याओं को टालता नहीं, टकराना जानता है और उन्हें मिटाना जानता है। इसी सोच और विश्वास के साथ बांग्लादेश को यथाशीघ्र कठोरता से सबक सिखाना होगा। हिंदुओं के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार की सजा मिलने पर ही इतिहास पलटने की गूँज सुनाई देगी।

—प्रो. कैलाश सोडाणी, पूर्व कुलगुरु, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

छबड़ा में संचालित अन्नपूर्णा योजना की रसोई में अनियमितताओं का आरोप

बताया जा रहा है कि रसोई पर काम करने वाले कर्मचारी मनमानी करते हैं

- **शहर में संचालित अन्नपूर्णा योजना रसोई में न केवल लाभार्थियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बल्कि उन्हें एक-एक घंटे इंतजार कराने के बाद भी खाना नहीं दिया जा रहा**
- **आरोप है कि इस रसोई पर काम करने वाले कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे हैं और खाना खाने आए लोगों को बेवजह परेशान कर रहे हैं**

है और खाना खाने आए लोगों को बेवजह परेशान कर रहे हैं। उन्हें घंटों इंतजार कराने के बाद भी भूख पेट वापस लौटना पड़ रहा है। कर्मचारी

लाभार्थियों के साथ दादागिरी कर रहे हैं और उन्हें भोजन देने से इनकार कर रहे हैं। समीप में संचालित हो रहे रेन बसेरे में ठहरने वाले लोग जब रसोई

पर खाना खाने पहुंचते हैं तो उनके साथ अशोभनीय व्यवहार किया जाता है।

रसोइयों में पूरा भोजन नहीं दिया जा रहा :- सरकार का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को भ्रपेट भोजन मिले। इसी वजह से दो साल पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर खाने की मात्रा बढ़ाई गई थी। पूर्ववर्ती सरकार के समय ४५० ग्राम भोजन मिलता था, जिसे बढ़ाकर भजनलाल सरकार ने ६०० ग्राम कर दिया। अन्नपूर्णा रसोइयों में ८ रुपए में एक थाली भोजन दिया जाता है। प्रत्येक थाली पर सरकार की ओर से

२२ रुपए का अनुदान दिया जाता है। भोजन की निर्धारित मात्रा प्रति थाली ६०० ग्राम है, लेकिन कई रसोइयों में पूरा भोजन नहीं दिया जा रहा है। नियमानुसार अन्नपूर्णा रसोइयों में पूरी साफ-सफाई होनी चाहिए और सम्मानजनक तरीके से खाना दिया जाना चाहिए। भोजन करने वाले हर व्यक्ति का फोटो खींचा जाता है, ताकि उसी हिसाब से संचालक सरकार को रिपोर्ट भेजें और फिर अनुदान की राशि स्वीकृत हो। हर रसोई में भोजन का मेन्यू चार्ट लगाया होना चाहिए।

राशिफल मंगलवार १३ जनवरी, २०२६	
पंडित अनिल शर्मा	
चन्द्रमास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत् २०८२, विशाखा नक्षत्र रात्रि १२:०७ तक, शूल योग सायं ७:०५ तक, विष्टि करण दिन ३:१८ तक, चन्द्रमा सायं ५:२१ से वृश्चिक राशि में संचार करेगा।	
गृह स्थिति: सूर्य-धनु, चन्द्रमा-तुला, मंगल-धनु, बुध-धनु, गुरू-मिथुन, शुक्र-मकर, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह	
आज कुमार योग रात्रि १२:०७ तक है। भद्रा दिन ३:१८ तक रहेगी। आज लोहड़ी उत्सव, भोगी (उ.भारत में) है।	
श्रेष्ठ चौघड़िया: चर ९:५८ से ११:१७ तक, लाभ-अमृत ११:१७ से १:५४ तक, शुभ ३:१२ से ४:३१ तक। राहुकाल: ३:०० से ४:३० तक। सूर्योदय ७:२१, सूर्यास्त ५:४९	

मेघ परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वाला सफल रहेगी।

वृष परिजनों/मित्रों से चल रहे आपसी मतभेद दूर होने लगेगे। विवाहित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

मिथुन व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आज महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में अचित सोच-विचार हो सकता है।

कर्क घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

सिंह परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित ख़ोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

तुला मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति में सुधार होगा। आज आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेगे। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी व्यक्तित्व बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक आज अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

धनु आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित ख़ोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

मकर व्यावसायिक कार्यों को प्रयास करें। अटक हुए कार्य बरने लगेगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा।

कुंभ नवीन कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अटक हुए कार्य बरने लगेगे। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

मीन चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यक्तित्व हो सकता है। आवश्यक कार्यों में तिलमिल हो सकता है। यात्रा में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

राजस्थान में

1 लाख सरकारी पदों की भर्ती परीक्षा का कैलेण्डर - 2026

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	पदों की संख्या	परीक्षा माह
1	प्राध्यापक भर्ती - 2025	09	जनवरी
2	राजस्थान प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-I) सीधी भर्ती परीक्षा - 2025	5449	जनवरी
3	राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-II) (विज्ञान गणित) सीधी भर्ती परीक्षा - 2025	1043	जनवरी
4	राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल- II) (सामाजिक अध्ययन) सीधी भर्ती परीक्षा - 2025	296	जनवरी
5	राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल- II) (अंग्रेजी) सीधी भर्ती परीक्षा - 2025	221	जनवरी
6	राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल- II) (हिन्दी) सीधी भर्ती परीक्षा - 2025	174	जनवरी
7	राजस्थान प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-I) (संस्कृत) सीधी भर्ती परीक्षा - 2025	187	जनवरी
8	राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-II) (संस्कृत) सीधी भर्ती परीक्षा - 2025	389	जनवरी
9	शिक्षा विभाग (विभिन्न पद)	10000	जनवरी - मार्च
10	सहायक विद्युत निरीक्षक भर्ती - 2025	09	फ़रवरी
11	कनिष्ठ रसायनज्ञ भर्ती - 2025	13	फ़रवरी
12	आयुष मिशन के विभिन्न पद	1548	फ़रवरी
13	सहायक अभियंता संयुक्त भर्ती - 2024 (मुख्य परीक्षा)	1014	मार्च
14	उप निरीक्षक पुलिस परीक्षा - 2025	1015	अप्रैल
15	कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा	1100	अप्रैल
16	पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती - 2025	1100	अप्रैल
17	सहायक कृषि अभियंता भर्ती - 2025	281	अप्रैल
18	प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा (भूगोल)	136	मई
19	प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा (विज्ञान)	668	मई
20	व्याख्याता, व्याख्याता कृषि एवं कोच संयुक्त भर्ती - 2025 (माध्यमिक शिक्षा)	3725	मई - जून
21	राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त) परीक्षा	500	मई
22	महिला पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा	72	जून

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	पदों की संख्या	परीक्षा माह
23	वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा	259	जून
24	कानिस्टेबल परीक्षा	4000	जून-जुलाई
25	लिपिक ग्रेड-II/कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती परीक्षा	10644	जुलाई
26	वरिष्ठ अध्यापक संयुक्त भर्ती - 2025(माध्यमिक शिक्षा)	6500	जुलाई
27	कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती - 2025	12	जुलाई
28	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (विभिन्न पद)	3000	जुलाई-अगस्त
29	वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा	322	अगस्त
30	बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा	2214	अगस्त
31	सांख्यिकी अधिकारी भर्ती - 2025	113	अगस्त
32	शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा	1079	सितम्बर
33	निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स भर्ती - 2025	12	सितम्बर
34	निरीक्षक कारखाना (रसायन) भर्ती - 2025	01	सितम्बर
35	सहायक निदेशक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती - 2025	09	अक्टूबर
36	सफाई कर्मचारी भर्ती	24793	अक्टूबर
37	ऊर्जा विभाग (विभिन्न पद)	2000	अक्टूबर
38	विविध पद	6000	अक्टूबर - दिसम्बर
39	संरक्षण अधिकारी भर्ती - 2025	12	नवम्बर
40	कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती	774	नवम्बर
41	संविदा टीचिंग एसोसिएट सीधी भर्ती परीक्षा	3500	दिसम्बर
42	ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा	3430	दिसम्बर
43	चिकित्सा अधिकारी भर्ती	600	दिसम्बर
44	नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल भर्ती	2000	दिसम्बर

“प्रदेश के युवाओं को मेरी ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएं। सरकार निष्पक्ष, पारदर्शी एवं योग्यता के आधार पर भर्तियों के लिए कृतसंकल्प है। आपकी मेहनत एवं लगन, आपके और प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करेगी।”

- भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री

प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी, चूरू और श्रीगंगानगर में पारा करीब 1.3 डिग्री रहा

चूरू और बीकानेर में खेतों और गाड़ियों पर जमी बर्फ की चादर

चूरू, (निसं)। प्रदेशभर में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। सोमवार को कई जिलों के ग्रामीण इलाकों के खेतों में उगी घास, फसलों के पत्तों और गाड़ियों की छतों पर बर्फ जम गई। चूरू शहर में भी कई स्थानों पर ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। वहीं चूरू जिले में न्यूनतम तापमान 1.3 डिग्री और अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री दर्ज किया गया। बीकानेर में सर्दी ने सोमवार को अपना तीखा रूप दिखाया। सीकर, जयपुर, कोटा, अलवर सहित कई जिलों में सर्दी का दौर जारी है। बीकानेर जिले में अधिकतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं श्रीगंगानगर में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। श्रीगंगानगर में मौसम रडार स्टेशन पर सोमवार सुबह न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।

चूरू संवाददाता के अनुसार :-जिले में सोमवार सुबह गांव ढाणी लाल सिंहपुरा में टेम्पो की छत पर बर्फ की परत जमी मिली। वहीं गांव के खेतों में फसलों के पत्तों और पानी की बाल्टियों में भी पानी बर्फ बन गया। पारे में गिरावट के साथ बर्फाली हवाओं ने लोगों को ठिठुरन का अहसास करवाया। हालांकि सोमवार सुबह घना कोहरा नहीं था, लेकिन हवाओं में गलन के कारण सर्दी का प्रकोप बना रहा।

बीकानेर संवाददाता के अनुसार :-बीकानेर जिले में सर्दी ने सोमवार को अपना तीखा रूप दिखाया। जिले में न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।



चूरू जिले के कई ग्रामीण इलाकों में सोमवार सुबह खेतों में बर्फ जमीं नजर आई।

रात और सुबह की ठंड इतनी तेज रही कि कई इलाकों में जमीन पर जमी हुई बर्फ नजर आई।

शहर और ग्रामीण इलाकों में सुबह के समय घरों में लगी दूब और घास पर बर्फ जमने की रिपोर्ट सामने आई है। देहात कांग्रिस अध्यक्ष बिशनाराम सियाग ने गंगाशहर में बर्फ जमने का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें खुले मैदान और घरों के आसपास सफेद परत साफ दिखाई दे रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड के तोखे असर की पुष्टि हो रही है।

तेज सर्दी के चलते बीते दिनों जिला कलेक्टर द्वारा घोषित अवाकाश के बाद सोमवार से बीकानेर के स्कूल

दोबारा खुल गए हैं। छात्रों को सुबह की ठंड से राहत देने के लिए स्कूलों का समय बदलकर सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक कर दिया गया है। कई दिनों के बाद सोमवार सुबह धूप खिली। सुबह नौ बजे तक लोगों ने अपने घरों की छतों पर धूप का आनंद लिया, जिससे दिन में ठंड का असर कुछ कम महसूस हुआ। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में दिन के समय धूप खिलने की संभावना बनी हुई है, जिससे सर्दी से कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि रात और सुबह के समय ठंड अभी भी बनी रहेगी और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।

श्रीगंगानगर संवाददाता के अनुसार

श्रीगंगानगर जिले में हाथ-पैर सुन्न करने वाली तेज ठंड का दौर जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने जिले में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है और लोगों को घर से निकलने में दिक्कत हो रही है। दिन में हल्की धूप निकली, जिससे कुछ देर राहत मिली लेकिन प्रदेश में श्रीगंगानगर सबसे ठंडा शहर रहा। मौसम रडार स्टेशन पर सोमवार सुबह न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रविवार को न्यूनतम 3.6 डिग्री और अधिकतम 12.4 डिग्री रहा, जबकि शनिवार को न्यूनतम 3.9 डिग्री और

■ **सीकर, जयपुर, कोटा, अलवर सहित कई जिलों में ठण्डी हवाओं से कड़ाके की सर्दी जारी**

अधिकतम 8.6 डिग्री दर्ज हुआ। शीतलहर के कारण न्यूनतम तापमान में 2.2 डिग्री की गिरावट आई है।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार हिमालय क्षेत्र में इन दिनों हो रही बर्फबारी से ठंडी हवाएं सीधे राजस्थान पहुंच रही हैं। श्रीगंगानगर सिंचित क्षेत्र होने के कारण पहले से ही नमी ज्यादा है, जिससे ठंड का असर और तेज हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि आगामी 2-3 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। सुबह-शाम घने कोहरे का प्रभाव जारी रहेगा।

मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में अभी कड़ाके की ठंड का दौर जारी रहेगा। उन्होंने कई क्षेत्रों में शीतलहर और अति शीतलहर की प्रबल संभावना जताई है। कड़ाके की सर्दी के चलते लोगों की दैनिक दिनचर्या प्रभावित हो रही है। लोग ठंड से राहत पाने के लिए अलावा का सहारा ले रहे हैं। सुबह अखबार बांटने वाले हॉंकर और दूध बेचने वाले दूध विक्रेता सर्वाधिक प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि पारे में गिरावट और बर्फ जमने के बावजूद छोटे स्कूली बच्चों की छुट्टियां घोषित नहीं की गई हैं। कृषि विभाग के अनुसार सुबह के समय उड़ने वाला कोहरा चने की फसल के लिए काफी लाभदायक माना जाता है।

अलवर में मिली बमनुमा वस्तु को नष्ट किया तो धमाका हुआ

अलवर, (निसं)। अलवर शहर में सोमवार सुबह एक मकान के पास बम जैसी वस्तु मिली। इस पर टाइमर लगा था। यह वस्तु अरावली विहार थाना इलाके के विवेकानंद नगर सेक्टर-4 में मिली। पुलिस इसे शहर से करीब साढ़े छह किलोमीटर दूर जयसमंद बांध पर लेकर गई। वहां उसे खाली जगह रखा गया। बांध के आसपास के पूरे इलाके को सील कर दिया गया। लोगों के आने-जाने पर रोक लगा दी गई। जयपुर से पहुंची एंटी बम स्क्वाड ने संदिग्ध वस्तु को नष्ट किया तो पटाखे जैसा धमाका हुआ।

बम निरोधक स्क्वाड के एएसआई रमेश चंद ने बताया कि इसमें कोई एक्सप्लोसिव नहीं था। अपने उपकरणों से हर तरीके से जांच की। जांच के बाद कुछ संदिग्ध नहीं मिला। संदिग्ध वस्तु

- **जयपुर से पहुंची एंटी बम स्क्वाड ने संदिग्ध वस्तु को नष्ट किया तो पटाखे जैसा धमाका हुआ**
- **अलवर में एक मकान के पास मिली थी बमनुमा वस्तु, पुलिस के साथ ही बम स्क्वाड मौके पर पहुंची थी**

में पेस्ट और टाइमर लगाया गया था, जिससे ऐसा लगे कि बम हो। लेकिन ऐसा नहीं था। टीम ने छोटा सा धमाका कर इसे न्यूट्रालाइज (बेअसर) कर दिया। अब इसके पार्ट की भी जांच करवाई जाएगी।

यह वस्तु बाबुंसिंह के मकान के पास मिली थी। बाबुंसिंह ने बताया कि सुबह संदिग्ध व्यक्ति मेरे घर में घुसा था। उसके साथ मेरा झगड़ा हुआ। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। उस व्यक्ति के

पास से संदिग्ध वस्तु गिरी थी। इसके बाद वह भाग गया। उसमें केवल एक पेस्ट और टाइमर लगाया गया था, जिससे पहली नजर में यह बम जैसा प्रतीत हो रहा था। सभी एंगल से जांच के बाद भी कोई संदिग्ध या विस्फोटक तत्व नहीं पाया गया। हालांकि सुरक्षा प्रक्रिया के तहत टीम ने नियंत्रित तरीके से एक छोटा सा धमाका कर उस वस्तु को न्यूट्रालाइज किया, जिसमें पटाखे जैसी आवाज सुनाई दी।

■ **चार यात्री घायल, सांडेराव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा**

के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। पुलिस के अनुसार हादसे में भेरसी राम पुत्र गोपराम देवासी (29 वर्ष) निवासी पाड़पुर, जिला जालौर की मौके पर ही मौत हो गई। मौत के शव को सांडेराव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मॉर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया है। बताया जा रहा है कि निजी बस दिल्ली से जालोर जा रही थी, इसी दौरान यह हादसा हुआ। पुलिस ने मामले दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

युवक ने आत्महत्या की : उदयपुर शहर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में युवक ने पेड़ पर फांसी लगा

■ **चार यात्री घायल, सांडेराव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा**

के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। पुलिस के अनुसार हादसे में भेरसी राम पुत्र गोपराम देवासी (29 वर्ष) निवासी पाड़पुर, जिला जालौर की मौके पर ही मौत हो गई। मौत के शव को सांडेराव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मॉर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया है। बताया जा रहा है कि निजी बस दिल्ली से जालोर जा रही थी, इसी दौरान यह हादसा हुआ। पुलिस ने मामले दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

युवक ने आत्महत्या की : उदयपुर शहर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में युवक ने पेड़ पर फांसी लगा

बयाना में खेतों के पास दिखा लैंपर्ड

बयाना/भरतपुर, (निसं)। बयाना क्षेत्र में स्थित बंध बारैदा वन्यजीव अभयारण्य से सटे इलाकों में एक बार फिर लेपर्ड की मूवमेंट सामने आई है। सोमवार सुबह कोट गांव निवासी श्यामवीर गुर्जर जब ट्रैक्टर से घर लौट रहे थे, तब परौआ और कोडपुरा गांव के बीच सरसों के खेत की पाल के पास लेपर्ड बैठा दिखाई दिया। श्यामवीर ने लेपर्ड का वीडियो भी बनाया। कुछ देर तक ट्रैक्टर की ओर देखने के बाद लेपर्ड मौके से भाग गया। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि डांग क्षेत्र में पिछले कई दिनों से पैथर की आवाजाही बढ़ गई है, जिससे किसान और राहगीर भयभीत हैं। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, रात में बाहर न निकलने और मवेशियों को सुरक्षित रखने की अपील की है। रेंजर जितेंद्र सिंह के अनुसार क्षेत्र में तीन-चार लेपर्ड का मूवमेंट रहता है और निगरानी बढ़ाई जा रही है।

हादसे में महिला की मौत

उदयपुर, (कासं)। शहर के सवीना थाना क्षेत्र में कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत हो गई तथा पति घायल हो गया।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के सविना थाना क्षेत्र में एकलिंगपुरा पेट्रोल पंप के समीप रविवार रात में कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में खट्कड़ा रेलमगरा राजसमंदर हॉल फतहनगर निवासी हेमलता पत्नी मदनलाल की मौत हो गई तथा पति मदन गंभीर घायल हो गया जिसे उपचार के लिए चिकित्सालय में भर्ती करवाया। एएसआई प्रीतमसिंह ने मृतका का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंपा। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। मदन अपनी पत्नी हेमलता एवं पुत्र दश के साथ पायड़वा में स्थित मंदिर से दर्शन कर वापस घर की तरफ लौट रहे थे, जहां बीच रास्ते में हादसा हो गया।

सहकारी समिति व्यवस्थापक रिश्वत लेते गिरफ्तार

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की झुंझुनूं टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम सेवा सहकारी समिति ढंडार में कार्यरत व्यवस्थापक महिपाल सिंह को 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते रहे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पुलिस महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी झुंझुनूं को एक परिवारदी ने शिकायत दी थी कि उसने अपने पिता और ताऊ सहित अन्य परिजनों की मूं

- **क्रय-विक्रय सहकारी समिति ढंडार के व्यवस्थापक महिपाल सिंह ने मूंा की तुलवाई की प्रति किंवंटल 300 रुपये की रिश्वत मांगी**

एमएसपी के तहत क्रय-विक्रय सहकारी समिति ढंडार में विक्रय के लिए तुलवाई कराई थी। इस दौरान व्यवस्थापक महिपाल सिंह ने प्रति किंवंटल 300 रुपये की रिश्वत की मांग की। परिवारी और उसके परिचितों की

करीब 100 किंवंटल मूंा की तुलवाई कराई गई थी। इसके अतिरिक्त, व्यवस्थापक द्वारा प्रति किसान शपथ-पत्र के नाम पर 5 हजार रुपये अलग से रिश्वत की मांग की जा रही थी। शिकायत मिलने पर एसीबी ने रिश्वत

मांग का गोपनीय सत्यापन कराया, जिसमें व्यवस्थापक द्वारा परिवारी से कुल 30 हजार रुपये की रिश्वत मांगना प्रमाणित पाया गया। इसके बाद सोमवार को एसीबी झुंझुनूं टीम ने ट्रैप कार्रवाई करते हुए आरोपी को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के अनुसार आरोपी महिपाल सिंह के पास से 30 हजार रुपये की रिश्वत राशि उसकी पहनी हुई जैकेट से बरामद कर ली गई है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

40 लाख रुपये की सायबर ठगी का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर की प्रताप नगर थाना पुलिस को सायबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक ऐसे संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है जो नामी हस्तियों की फोटो और ट्रूकॉलर आईडी का इस्तेमाल कर लाखों की ठगी करता था। पुलिस ने इस मामले में जालौर के एक हिस्ट्रीशीटर सहित दो आरोपियों को

- **सायबर ठगों ने एक व्यापारी से 40 लाख रुपये की ठगी को अंजाम दिया था**

गिरफ्तार किया है।

भीलवाड़ा के प्रतापनगर थाना इलाके में सायबर ठगों ने एक व्यापारी से 40 लाख रुपये की ठगी को अंजाम दिया था। ठगों ने मशहूर व्यवसायी पृथ्वीराज कोठारी की फोटो व्हाट्सएप डीपी पर लगाई और ट्रूकॉलर पर भी उन्हीं के नाम की आईडी बना ली। इसके बाद उन्होंने भीलवाड़ा निवासी मीठा लाल सिंघवी को कॉल कर खुरद को



पुलिस ने जालौर के एक हिस्ट्रीशीटर सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।

पृथ्वीराज कोठारी बताया और विश्वास में लेकर हवाला के जरिए 40 लाख रुपये एंठ लिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी धर्मेन्द्र सिंह के निदेश और सीआई राजपाल सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी साध्य और मुखबिरों की

सूचना पर पुलिस ने जालौर और बालोतरा के आसपास दबिश दी। पुलिस ने जालौर के हिस्ट्रीशीटर मोडसिंह उर्फ विक्रम सिंह और उसके साथी कैलाश सिंह को गिरफ्तार किया है।

मुख्य आरोपी मोडसिंह बेहद शांति अपनाधी है, जिसके खिलाफ

राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में करीब 9 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। यह गिरोह संगठित तरीके से अलग-अलग राज्यों में ठगी की वारदातों को अंजाम देता था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

नशीली कफ सिरप का सप्लायर गिरफ्तार

अलवर, (निसं)। भिवाड़ी पुलिस ने नशीले कफ सिरप की अवैध तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक सप्लायर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से ओनिरिक्स कप सीरप की 73 शीशियां जब्त की हैं। यह कार्रवाई रविवार दोपहर टपूकड़ा थाना क्षेत्र में की गई।

टपूकड़ा थानाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि थाना टपूकड़ा की टीम गश्त पर थी। टेरा केसटल सोसाइटी के पास एक कच्चे रास्ते पर एक युवक सफेद कट्रा लिए संदिग्ध अवस्था में दिखा। वह खुद को छिपाते हुए सोसाइटी की ओर जा रहा था। पुलिस टीम ने संदिग्ध युवक को रोका और पूछताछ की। उसने अपना नाम अनीस उर्फ टीमानी पुत्र नारून निवासी मुसारी, टपूकड़ा बताया। कट्टे की तलाशी लेने पर उसमें ओनिरिक्स कप सीरप की 73 शीशियां मिलीं। आरोपी ने

स्वीकार किया कि वह इन शीशियों को नशे के लिए ग्राहकों को बेचने जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एओपिथ नियंत्रण अधिकारी, अलवर को मौके पर बुलाया गया। जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि प्रत्येक शीशी में कोडीन फॉस्फेट मौजूद है, जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत एक नारकोटिक घटक है। पुलिस के अनुसार, कोडीन युक्त कफ सिरप का उपयोग चिकित्सकीय देखरेख में ही किया जा सकता है। हालांकि, बिना लाइसेंस के इसकी अवैध बिक्री युवाओं में नशे की लत फैलाने का एक बड़ा माध्यम बन रही है। भिवाड़ी पुलिस की यह कार्रवाई ऐसे अवैध नेटवर्क पर उन्क़ुश लागूने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है।

गैंगरेप के एक आरोपी को उम्रकैद, दूसरा फरार

अलवर, (निसं)। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र में गैंगरेप करने वाले एक आरोपी को अलवर कोर्ट ने आजीवन जेल की सजा सुनाई है। वहीं मुल्जिम पर साढ़े पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं गैंगरेप का दूसरा आरोपी अब तक फरार है, जिसे पकड़ा नहीं जा सका।

विशिश्लेषक अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि 9 मार्च 2023 को रामगढ़ थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कराया कि नाबालिग से दो जनों ने गैंगरेप किया। उसका अश्लील वीडियो बना लिया। उसके बाद उसको ब्लैकमेल भी किया।

परिवार के लोगों को तब पता चला जब नाबालिग पांच महीने की गर्भवती हो गई। उसके बाद मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मुकदमे के बाद दोनों मुल्जिमां पर आरोप साबित हो गए। इस पर कोर्ट ने एक आरोपी को आजीवन जेल की सजा सुनाई है। उस पर साढ़े पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, लेकिन दूसरा आरोपी फरार है। इसके अलावा पिछड़ा को 2 लाख रुपए प्रतिकर दिलाने के आदेश दिए हैं। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि कम उम्र की बालिका से गैंग रेप करना जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है।

	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड राज्यीय वृद्ध अभियान (राजि अभियान), 604, इमरेश्वरस्ट्रीट विडिंडा, लालकोट, टोक टोक, जयपुर	
ऑनलाइन निविदा आमंत्रण सूचना : TN-61(RVU2526GLOB01998)		
रा.वि.उ.नि. के विभिन्न विद्युत गृहों के लिए एच.टी. केबलस की आपूर्ति हेतु ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण वेबसाइट www.eproc.rajjasthan.gov.in (ई-निविदा हेतु), www.energy.rajjasthan.gov.in/rvunl एवं www.sppp.rajjasthan.gov.in पर उपलब्ध है।		
रज.सं.वार./सी/25/17462	RVUN/PR-4324	अधीक्षण अभियन्ता (टी.डी.-111)

कार्यालय नगर पालिका वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर (राज.)	
क्रमांक:- न.पा.व./ 2025-26/ 2099	दिनांक:- 07.01.2026
निविदा सूचना	
नगरपालिका वजीरपुर में खुली बोली / कार्य की निविदा NIB CODE DLB2526B0008 की आमंत्रित की गई है।। उक्त निविदा सूचना एवं शर्तें राजस्थान लोक उपायन बोर्डल की वेबसाईट https://sppp.rajjasthan.gov.in and https://eproc.rajjasthan.gov.in देखी तथा डाउनलोड एवं अपलोड की जा सकती है।	
राज.सं.वार./सी/25/17447	अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका वजीरपुर

 राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड	
ऑफिसर कार्यालय, 04, नील नदी, उदयपुर, 312009(उदर.) फोन नम्बर : (0294)2428768 / 2428763-67, फैक्स (0294)2428768, 2428779	
ई-निविदा सूचना	दिनांक :- 12/01/2026
निविदा संख्या एवं दिनांक	कार्य का विवरण
ई-निविदा संख्या 11/ 2025-26	कम्पनी की लाईन स्टोन माईंस, जैसलमेर पर विभिन्न प्रकार की साइज एवं विवरण अनुसार कन्वेयर बेल्ड्स की आपूर्ति हेतु निविदा। अनुमानित मात्रा – निविदानुसार, धरोहर राशि (रु. में) 42,000 /–, निविदा प्रत्र भुक्त (रु. में) 1180 /–
उपरोक्त निविदा की विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाईट www.rsmn.com / www.sppp.rajjasthan.gov.in or www.eproc.gov.in अथवा प्रत्येक (एमएन) से उपरोक्त पते पर सम्पर्क करें।	
रज.सं.वार./सी/25/17468	उप महाप्रबन्धक (का.एच.प्रभ.)

कार्यालय नगर परिषद, चित्तौड़गढ़	
क्रमांक :- उत्सव / 2025-26 / 9729	दिनांक :- 08.01.2026
ई-निविदा सूचना	
नगर परिषद द्वारा इच्छुक एवं अनुभवी निविदादाताओं से गणतंत्र दिवस 2026 पर मिठाई एवं अल्ट्राहायर संबंधी व्यवस्था के कार्य हेतु ऑनलाईन ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य की अनुमानित राशि, निविदा विक्रय, प्राप्ति, अन्य विवरण / शर्तें एवं जानकारी वेबसाईट http://eproc.rajjasthan.gov.in एवं https://sppp.rajjasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। कार्य में कुल अनुमानित व्यय 15,00,000 /– रूपये है।	
UBN No. DLB2526SLOB29773	आयुक्त नगर परिषद चित्तौड़गढ़
राज.सं.वार./सी/25/17517	

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता ईसरदा परियोजना वृत्त टोंक	
क्रमांक-1200	दिनांक-31.12.2025
ई-निविदा सूचना संख्या 02/2025-26	
राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय की ओर से इस कार्ययंत्र के अधीन, कार्ययंत्र अधिशाषी अभियन्ता पुनर्वर्ष खण्ड ईसरदा परियोजना जल संसाधन टोंक के 01 कार्य जिसकी अनुमानित लागत रु. 145.92 लाख है, के लिए उपर्युक्त श्रेणी में योग्य पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रत्र में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रत्र दिनांक 02.01.2026 प्रात 9.30 बजे से दिनांक 15.01.2026 सायं 06.00 बजे तक वेबो जाकर दिनांक 16.01.2026 को प्रात 11.00 बजे खोली जावेगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अकाशवा खलत है या सम्पूर्ण निविदा नहीं खोली जा सकती है तो उसके अगले कारोदिस को उसी समय निविदा खोली जावेगी। निविदा से संबंधित कार्यों का विवरण वेबसाईट www.dipronline.org , https://eproc.rajjasthan.gov.in , www.watersources.rajjasthan.gov.in & http://sppp.raj.nic.in पर डाउनलोड हाजा के निोदित होई पर कार्यालय समय में देखी जा सकती है।	
NIB NO.. WRD2526A0598, UBN NO. WRD2526WSRC02068	(जितेन्द्र तुलाहिर्मा) अधीक्षण अभियन्ता ईसरदा परियोजना वृत्त जल संसाधन विभाग टोंक
DIPR/C/206/2026	

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त बुन्दी	
ई-मेल-sec@rcle.bun.phed@rajasthan.gov.in and sephed@rcle@gmail.com	दिनांक-
क्रमांक-अअ/जनस्वा/स्वा/वृ.बुं/2025-26/	
निविदा सूचना संख्या 07/2025-26 (NIB NO.PHE2526A5042)	
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से वृत्त बुन्दी के अधीन पेयजल उन्नयन योजनाओं पर निर्माण कार्य हेतु उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया द्वारा ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण वेबसाईट www.sppp.rajjasthan.gov.in विभागिय वेबसाईट www.phedwater.rajjasthan.gov.in एवं www.eproc.rajjasthan.gov.in पर उपलब्ध है। निविदाएं दिनांक 05.01.2026 से 20.01.2026 तक वेबसाईट www.eproc.rajjasthan.gov.in से डाउनलोड कर अपलोड की जा सकेंगी तथा तकनीकी बिद दिनांक 21.01.2026 को दोपहर 3.00 बजे ऑन लाईन खोली जावेगी।	
UBN CODE: 1. PHE2526WSRC10343, 2. PHE2526WSRC10344, 3. PHE2526WSRC10345, 4. PHE2526WSRC10346	(सुनील कुमार शर्मा) अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वृत्त बुन्दी
DIPR/C/229/2026	

Office Of The District Education Officer
(HQ) Secondary Jalore (Raj.)

No. deo/hq/sec/jalore/Accounts/2025-26/01

Date: 05.01.2026

NOTICE INVITING TENDER NO. 2

Bid of procurement of supply of complete Ladies & Gents Bicycles procurement is inviting form interest bidders up to 16.01.2026 time 12.30 P.M. Other particulars of the bid may be visiting on the procurement portal <https://eproc.rajjasthan.gov.in> & <https://sppp.rajjasthan.gov.in> of the site.

S. No.	Item/Description of work	Estimated cost (In Rupees)	UBN
01	Supply of Complete Ladies & Gents Bicycles 20" (Colour-Orange)	1,04,53,914/-	EDU2526 GLOB00117
(Bhanwar Lal Parmar) Dist. Education Officer, (HW) Secondary, Jalore			

DIPR/C/367/2026

कार्यालय नगर परिषद सुजानगढ़ (चूरू) राजस्थान	
E-mail id:- nps222419@gmail.com	Phone No. 01568-222419
क्रमांक:-न.प.सु./विकास शाखा/ 2026 / 10325	दिनांक:- 06.01.2026
-:ई-निविदा सूचना-2025-26:-	
नगर परिषद सुजानगढ़ द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिये उपयुक्त सक्षम श्रेणी के राज्य सरकार के विभागों में प्रजीकृत टेकेंटर्स/कम्पों से निविदा दिनांक 22.01.2026 तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्रों को वेबसाईट https://eproc.rajjasthan.gov.in से डाउनलोड कि जा सकता है एवं निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण वेबसाईट www.sppp.raj.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। निविदा का बीड क्रमांक (DLB2526WSOB29732), (DLB2526WSOB29733), (DLB2526WSOB29734), (DLB2526WSOB29735), (DLB2526WSOB29737), (DLB2526WSOB29738), (DLB2526WSOB29740), (DLB2526WSOB29742), (DLB2526WSOB29744), (DLB2526WSOB29745), (DLB2526WSOB29746), (DLB2526WSOB29747), (DLB2526WSOB29748), (DLB2526WSOB29753), (DLB2526WSOB29759), (DLB2526WSOB29761), (DLB2526WSOB29763), (DLB2526WSOB29765), (DLB2526WSOB29766) है। कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस को नगर परिषद सुजानगढ़ के कार्यालय में एवं सूचना बोर्ड पर देखी जा सकती है।	
राज.सं.वार./सी/25/17500	आयुक्त नगर परिषद सुजानगढ़

Visit us :-

मुख्यमंत्री भजनलाल ने एक लाख पदों का भर्ती कैलेण्डर जारी किया

संसद : 29 को आर्थिक सर्वेक्षण, 1 फरवरी को बजट

प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर के साथ पतंग उड़ाई

जयपुर, 12 जनवरी। सोमवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्यस्तरीय युवा महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय युवा दिवस केवल एक तिथि नहीं, बल्कि युवा शक्ति को नमन करने का दिवस है, जिसने हर युग में राष्ट्र की दिशा बदली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास में युवाओं की भूमिका को ध्यान में रखते हुए पहली बार युवाओं को प्रदेश के बजट निर्माण में सहभागी बनाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने युवाओं को गत सरकार के समय होने वाले पेपरलीक से मुक्ति दिलवाकर दोषियों को पकड़ा है। साथ ही, परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए 351 परीक्षाएं बिना किसी गड़बड़ी के पूरी करवाई है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर युवाओं को सीगात देते हुए भर्ती परीक्षा कैलेण्डर 2026 जारी किया। इस कैलेण्डर में लगभग 1 लाख पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं का प्रस्तावित शेड्यूल दिया गया है, जिसके अनुसार युवा परीक्षा की

उन्होंने नवीन युवा नीति-2026 एवं राजस्थान रोजगार नीति-2026 जारी की



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्यस्तरीय युवा महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित किया।

तैयारी कर सकेंगे। शर्मा ने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने राजस्थान युवा नीति-

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवाओं की भूमिका को ध्यान में रखते हुए पहली बार युवाओं को प्रदेश के बजट निर्माण में सहभागी बनाने का काम किया गया है।

2026 भी जारी की। इस नीति के तहत शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से युवाओं के लिए उभरते क्षेत्रों में अवसरों का विस्तार किया जाएगा। शर्मा ने कार्यक्रम में राजस्थान रोजगार नीति-2026 भी जारी की। इस नीति के तहत रोजगार और उद्यमशीलता पर केन्द्रित बहुआयामी रणनीति के माध्यम से मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसरों को सुलभ बनाया जाएगा।

नयी दिल्ली, 12 जनवरी। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होकर दो चरणों में दो अप्रैल तक चलेगा, जिसमें कुल 30 बैठकें होंगी। राज्यसभा सचिवालय ने सोमवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने 28 जनवरी से संसद का बजट सत्र बुलाया है। सत्र के पहले दिन 28 फरवरी को मुर्मू संयुक्त सदन को संबोधित करेंगी, 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण लोकसभा में रखा जायेगा और रविवार, एक फरवरी को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। आधिकारिक सूचना के अनुसार, सत्र का पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी चलेगा, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की 13-13 बैठकें होंगी।

‘परीक्षा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) अदालत को बताया कि एसआईटी की पहली रिपोर्ट के आधार पर एकलपीठ ने भर्ती रद्द करने के संबंध में आदेश दिया था, क्योंकि एसआईटी ने परीक्षा रद्द करने के टास्क के आधार पर ही अपनी रिपोर्ट दी थी। बाद में एसआईटी ने मामले में पुनर्विचार कर अपनी दूसरी रिपोर्ट दी, जिसमें माना गया कि दोषियों की छंटनी संभव होने के कारण पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट भी तय कर चुका है कि यदि परीक्षा में गड़बड़ी अधिक नहीं है तो परीक्षा को रद्द करना उचित नहीं है। इसके अलावा यह मामला व्यापक स्तर पर नकल का नहीं है। भर्ती में 421 अभ्यर्थियों का आरएएस भर्ती में भी चयन हुआ है। खंडपीठ को यह भी बताया गया कि पकड़े गए अभ्यर्थियों में से कई डमी अभ्यर्थी हैं। ऐसे में यह मामला न तो व्यापक स्तर पर नकल का बनता है और न ही पेपर लीक का। इसके अलावा तत्कालीन आयोग सदस्य बाबुलाल कटारा ने भी किसी गैंग को पेपर देने के बजाए, व्यक्तिगत स्तर पर ही पेपर दिया था। इसलिए एकलपीठ का आदेश रद्द किया जाए।

जोर पकड़ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) योजना “शक्ति का केन्द्रीकरण करती है, लेकिन जिम्मेदारी राज्यों पर डाल देती है।” ट्रेज ने कहा, “नए कानून के तहत केन्द्र सरकार को यह तय करने का अधिकार मिल जाता है कि योजना कब और कहाँ लागू हो, फंडिंग की सीमा क्या रहे तथा वित्तीय जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल दी जाये। इसके अलावा, यदि योजना बंद कर दी जाती है, तो काम न देना गैरकानूनी नहीं माना जायेगा।

ममता बनर्जी गिरफ्तार ...

मामला दर्ज कराया था। इसके बाद ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग की और मुख्यमंत्री के खिलाफ मामले दायर किए। हालांकि, ईडी की ओर से मुख्यमंत्री के खिलाफ इन शिकायतों के बावजूद कुछ राजनीतिक हलकों का कहना है कि केन्द्रीय एजेंसी ने मुख्यमंत्री के प्रति नरम रुख अपनाया और उन्हें छापेमारी वाले परिसरों में प्रवेश करने तथा महत्वपूर्ण सबूत अपने साथ ले जाने की अनुमति दी।

मुख्यमंत्री ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) का प्रतीक है। शर्मा ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों का आा न किया कि वे सकारात्मक सोच के साथ कर्मशील होने तथा जरूरतमंदों की मदद का संकल्प लें, ताकि देश और प्रदेश उन्नति के नए शिखर को छू सके।

■ मोदी और फ्रैंडरिक मर्ज़ ने साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भाग लिया।

दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उनका गर्मजोशी से

एसआई भर्ती पेपर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) पर रिहा करना उचित है। जमानत याचिकाओं में अधिवक्ता प्रिंस पाल सिंह व अन्य वकीलों ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं को मामले में फंसाया गया है। विनोद कुमार गत 28 अगस्त, कैलाश कुमार गत 19 सितंबर, परमेश चौधरी 23 सितंबर और मंगलाराम गत 27 सितंबर से जेल में बंद है। इसके अलावा, जांच एजेंसी ने मामले में अनुसंधान पूरा कर अदालत में आरोप पत्र पेश कर दिया है। इसके अलावा सह आरोपियों को पूर्व में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जमानत दी जा चुकी है। याचिकाओं में कहा गया कि अभियोजन पक्ष ने कैलाश कुमार और परमेश चौधरी के खिलाफ पेपर खरीदने, मंगलाराम पर अपनी जगह अन्य को परीक्षा में बैठाने और विनोद पर पेपर खरीदने व बेचने के आरोप लगाए हैं, लेकिन अभियोजन पक्ष के पास इस संबंध में कोई भी कड़ीबद्ध साक्ष्य नहीं है। ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। जमानत का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी विनोद लंबे समय से फरार रहा है। वहीं कैलाश व मंगलाराम ने पेपर खरीदे हैं। इसलिए उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज किया जाए। मामले की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

‘जीवनपर्यंत मुख्य ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) से मिलकर बनी एक उच्च स्तरीय समिति के जरिए होनी चाहिए। यह समिति राष्ट्रपति को नाम सुझाएगी और राष्ट्रपति उन नियुक्तियों को मंजूरी देंगे। अदालत ने यह भी कहा था कि संसद जब तक नियुक्ति प्रक्रिया पर कानून नहीं बनाती, तब तक यह अंतरिम व्यवस्था लागू रहेगी।

21 दिसंबर 2023 को केन्द्र सरकार ने सीईसी और ईसी की नियुक्ति प्रक्रिया, सेवा शर्तों और कार्यकाल से जुड़ा नया कानून बनाया। इस कानून में तीन सदस्यीय चयन समिति बनाई गई, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। गौरतलब है कि इसमें मुख्य

■ पर इस नई व्यवस्था का भारी विरोध किया था विपक्ष ने और सरकार की नीयत पर कई आरोप लगाये थे।

न्यायाधीश को समिति से हटा दिया गया, जिस पर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया। विपक्षी दलों का कहना है कि यह नया कानून सुप्रीम कोर्ट के 2023 के उस फैसले को कमजोर करता है, जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष वाली समिति के आदेश दिए गए थे।

TRUE VALUE

इस मकर संक्रांति कार लेना हुआ आसान। सिर्फ ₹59 प्रतिदिन* की आसान किश्तों में।

CELEBRATING 60Lakh STORIES OF TRUST

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERTIFIED

TRUE VALUE CERT